न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 11 / 2021 (उदयपुर आर्डर)

अरविन्द कुमार बडाला पिता स्वर्गीय पूरणमल जी बडाला, निवासी 301, वल्लभ अपार्टमेन्ट, न्यु भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीदास पिता द्वारकादास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
2. गौतम पिता स्वर्गीय श्याम सुन्दरदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
3. जगदीश पिता स्वर्गीय श्याम सुन्दरदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
4. ममता पिता स्वर्गीय श्याम सुन्दरदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती केसरबाई पत्नी स्वर्गीय श्याम सुन्दरदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
6. शान्तिदास पिता डालूदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
7. मोहनीबाई पिता डालूदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
8. छगनीबाई पत्नी डालूदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)
9. भीमराज पिता रूपलाल जी मेहता मृतक के बजाय :–

9/1. श्रीमती मंजु पत्नी स्वर्गीय भीमराज जी मेहता, निवासी भुताला, हाल शालीभद्र अपार्टमेन्ट, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

9/2. सोनू पुत्र स्वर्गीय भीमराज जी मेहता, निवासी भुताला, हाल शालीभद्र अपार्टमेन्ट, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

9/3. नेहा पुत्री स्वर्गीय भीमराज जी मेहता, निवासी भुताला, हाल शालीभद्र अपार्टमेन्ट, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

9/4. साहिल पुत्र स्वर्गीय भीमराज जी मेहता, निवासी भुताला, हाल शालीभद्र अपार्टमेन्ट, फतहपुरा, उदयपुर (राज.)

10. कल्याणदास पिता द्वारकादास, जाति वैष्णव मृतक के बजाय :–

10/1. श्रीमती रोडी बाई पत्नी स्वर्गीय कल्याणदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)

10/2. भेरूदास पुत्र स्वर्गीय कल्याणदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)

10/3. श्रीमती मांगी देवी पुत्री स्वर्गीय कल्याणदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)

10/4. श्रीमती हेमा पुत्री स्वर्गीय कल्याणदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)

10/5. श्रीमती टीना पुत्री स्वर्गीय कल्याणदास, जाति वैष्णव, निवासी श्रीमालियों की कडिया, जिला उदयपुर (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव
दिनांक 15.03.2021 प्र. सं. 50/2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री एस. पी. गोस्वाली अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गोपाल जोशी अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 5
3– श्री गोपीलाल रेंगर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6
4– श्री विकास शर्मा अभिभाषक रे. सं. 9/1 से 9/4
5– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं.11

———::———

निर्णय **दिनांक 26–09–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी जिसका वर्णन तथा पत्र की कलम संख्या 2 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित है, राजस्व ग्राम श्रीमालियों की कडिया, तहसील बड़गांव में स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 18/109 वां हिस्सा है, जो उपरोक्त हिस्से के अनुसार पृथक–पृथक खाते में चली आ रही है, जिसमें प्रार्थी का अविभाजित हक व हिस्सा निहित है एवं प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि का विभाजन का वाद प्रार्थी ने प्रस्तुत कर रखा है, किन्तु विपक्षीगण आये दिन धमकी देते हैं कि रास्ते का हिस्सा हमारा है, तुम्हारा हिस्सा पीछे है। अतः विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का मौके पर कोई कब्जा नहीं होने से मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थी उत्तरदाता के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–03–2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–04–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6, 9/1 से 9/4 व 11 के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7, 8, 10/1 से 10/5 वाबजूद सूचना अनुपस्थित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत जाकर वास्तविकता से परे निर्णय पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट आये दिन झगड़ा–फसाद करते हैं ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक उन्हें जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक है, नहीं तो वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested

निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी की है। ऐसी स्थिति में सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक ईंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दिये जाने का उल्लेख करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में न्यायिक नजीरों का भी हवाला दिया है। प्रार्थी/अपीलान्ट यह साबित कराने में असफल रहा है कि रेस्पोन्डेन्टगण किसी प्रकार उसे भूमि से बेदखल करना चाह रहे हैं तथा किस प्रकार अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में मानते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञ का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो उपलब्ध रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15–03–2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:53:33 IST
Reason: SelfAttested